"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 मई 2018—वैशाख 28, शक 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पोषण लाल साहू आत्मज श्री श्यामलाल साहू, उम्र 58 वर्ष, निवासी-सड़क-3, प्लाट नं.-32, प्रदीप्ति नगर, बोरसी, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, मेरे बच्चों के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरा नाम पोषण लाल साहू दर्ज है जो कि सही है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम पोषण लाल दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम के आगे "साहू" उपनाम जोड़कर नया नाम/उपनाम पोषण लाल साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे पोषण लाल साहू आ. श्री श्यामलाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
पोषण लाल पिता-श्री श्यामलाल साहू निवासी-सड़क-3, प्लाट नं.-32, प्रदीप्ति नगर, बोरसी, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	पोषण लाल साहू पिता-श्री श्यामलाल साहू निवासी-सड़क-3, प्लाट नं.-32, प्रदीप्ति नगर, बोरसी, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती स्वाती साहू ध. प. श्री मुकेश कुमार साहू, निवासी-क्वा. नं.-सी-651, कावेरी विहार, एन टी पी सी टाउनशिप, जमनीपाली, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम स्वाति कुमारी आत्मजा डॉ. अजित कुमार जैन था. मेरा विवाह दिनांक 28-01-2008 को श्री मुकेश कुमार साहू के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती स्वाति साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती स्वाति साहू ध. प. श्री मुकेश कुमार साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

स्वाति कुमारी
पिता-डॉ. अजित कुमार जैन
निवासी-श्री गौरी अपार्टमेंट मेडिकल
चौराहा, हनुमान नगर, नागपुर
तह. व जिला-नागपुर (महाराष्ट्र)

नया नाम

श्रीमती स्वाति साहू
पति-श्री मुकेश कुमार साहू
निवासी-क्वा. नं.-सी-651,
कावेरी विहार, एन टी पी सी
टाउनशिप, जमनीपाली,
तहसील कटघोरा जिला- कोरबा (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मुकेश कुमार करियार, आत्मज स्व. समनुवा, उम्र 49 वर्ष, जाति-डुमार, निवासी-बसंत विहार, क्वा. नं. ए-294, एस. ई. सी. एल. बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं एस. ई. सी. एल. इंदिरा विहार डिसपेंसरी में कार्यरत हूं. मेरे आधार कार्ड, परिचय पत्र में मेरा सही व पूर्ण नाम मुकेश कुमार करियार दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम मुकेश कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है मैं अपने नाम के आगे "करियार" उपनाम जोड़कर पूर्ण नाम मुकेश कुमार करियार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे मुकेश कुमार करियार आ. स्व. समनुवा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

मुकेश कुमार
पिता-स्व. समनुवा
निवासी-बसंत विहार, क्वा. नं. ए-294,
एस. ई. सी. एल. बिलासपुर,
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

मुकेश कुमार करियार
पिता-स्व. समनुवा
निवासी-बसंत विहार, क्वा. नं. ए-294,
एस. ई. सी. एल. बिलासपुर,
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भरत लहरे आत्मज श्री लखन लाल उम्र 42 वर्ष, जाति सतनामी, निवासी-थेमहापार, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर (छ. ग.), हा. मु.-क्वा. नं. बी. 2084, नर्मदा विहार एन. टी. पी. सी. कालोनी, जमनीपाली, कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई के एस. टी. पी. पी. एन. टी. पी. सी. में कार्यरत हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम भरतलाल आ. श्री लखन लाल दर्ज है मैं अपने नाम के साथ "लहरे" उपनाम जोड़कर नया नाम भरत लहरे आ. श्री लखन लाल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे भरत लहरे आ. श्री लखन लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
भरतलाल (BHARAT LAL) पिता-श्री लखन लाल निवासी-थेमहापार, तह. मस्तुरी, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) हा. मु.-क्वा. नं. बी. 2084, नर्मदा विहार एन. टी. पी. सी. कालोनी, जमनीपाली, कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.)	भरत लहरे (BHARAT LAHARE) पिता-श्री लखन लाल निवासी-थेमहापार, तह. मस्तुरी, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) हा. मु.-क्वा. नं. बी. 2084, नर्मदा विहार एन. टी. पी. सी. कालोनी, जमनीपाली, कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रश्मि बगड़िया ध. प. श्री मुकेश बगड़िया, निवासी-नेमीचंद गली, रामसागर पारा वार्ड, गंज पारा रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं यह कि मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों/अभिलेखों में मेरा नाम रश्मि बगड़िया आत्मजा श्री मीनालाल अग्रवाल, पति श्री मुकेश बगड़िया दर्ज है, जो कि सही है, किन्तु मेरे इनकम टैक्स (आयकर) के दस्तावेजों/अभिलेखों में मेरे पिताजी का नाम श्री बिहारी लाल अग्रवाल दर्ज हो गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने आयकर के समस्त रिकार्ड में मेरे पिताजी का सही नाम श्री मीना लाल अग्रवाल जोड़वाने के संबंध मे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे रश्मि बगड़िया आत्मजा श्री मीना लाल अग्रवाल, ध. प. श्री मुकेश बगड़िया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
रश्मि बगड़िया पिता-श्री बिहारी लाल अग्रवाल निवासी-नेमीचंद गली, रामसागर पारा वार्ड, गंज पारा रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)	रश्मि बगड़िया पिता-श्री मीना लाल अग्रवाल निवासी-नेमीचंद गली, रामसागर पारा वार्ड, गंज पारा रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती विभा शर्मा, ध. प. श्री प्रणय शर्मा, उम्र 26 वर्ष, निवासी-हाउसिंग बोर्ड कालोनी, हाटकचोरा, ब्लाक नं.-2 फ्लैट नं.-29, सनसिटी के पास जगदलपुर, तहसील-जगदलपुर, जिला बस्तर (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम कुमारी योगमाया शर्मा आत्मजा-श्री विरेन्द्र शर्मा था तथा यही नाम मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, व अन्य अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज है तथा मैं इसी नाम से जानी, पहचानी जाती थी. मेरा विवाह दिनांक 26-05-2014 को श्री प्रणय शर्मा के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती विभा शर्मा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती विभा शर्मा ध. प. श्री प्रणय शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कुमारी योगमाया शर्मा
(Ku. Yogmaya Sharma)
पिता-श्री विरेन्द्र शर्मा
(D/o- Shri Virendra Sharma)
निवासी-रिंग रोड नं.-1, ब्रम्हदेव कालोनी,
भांठागांव, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती विभा शर्मा
(Smt. Vibha Sharma)
पति-श्री प्रणय शर्मा
(W/o- Shri Prannay Sharma)
निवासी-हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
हाटकचोरा, ब्लाक नं.-2 फ्लैट नं.-29,
सनसिटी के पास जगदलपुर,
तहसील-जगदलपुर,
जिला- बस्तर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अशोक कुमार झारखरिया आत्मज श्री जगन्नाथ प्रसाद, निवासी-खण्डेलवाल कालोनी, वार्ड नं.-45 तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं यह कि पूर्व में मेरा नाम अशोक कुमार झा आत्मज श्री जगन्नाथ प्रसाद झा था, यह नाम मेरे समस्त अभिलेखों, दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर अपने नाम के आगे "झारखरिया" उपनाम जोड़कर नया नाम/उपनाम अशोक कुमार झारखरिया रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे अशोक कुमार झारखरिया आ. श्री जगन्नाथ प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

अशोक कुमार झा
पिता-श्री जगन्नाथ प्रसाद झा
निवासी-खण्डेलवाल कालोनी, वार्ड नं.-45
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नया नाम

अशोक कुमार झारखरिया
पिता-श्री जगन्नाथ प्रसाद
निवासी-खण्डेलवाल कालोनी, वार्ड नं.-45
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2018

क्रमांक/परि./2018/798.—वस्तुत: सर्वोत्तम प्राथमिक सहकारी उपभोक्त भंडार मर्या. कृष्णानगर बिलासपुर विकास खंड बिल्हा जिला बिलासपुर पं. क्र. 3375 दिनांक 28-01-1991 निर्वाचन कार्य में सहयोग नहीं करने एवं संस्था बंद होने एवं कोई कार्य नहीं करने के कारण संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा परिसमापन में लाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने से इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/646 बिलासपुर दिनांक 13-03-2018 छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. जिसकी तामिली करने हेतु कार्यालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भेजा गया था. किन्तु उक्त कर्मचारियों के द्वारा अवगत कराया है कि संस्था अपने संबंधित पते पर नहीं है.

अतएव प्राधिकृत अधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ 15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये सर्वोत्तम प्राथमिक सहकारी उपभोक्त भंडार मर्या. कृष्णानगर बिलासपुर विकास खंड बिल्हा जिला बिलासपुर पं. क्र. 3375 दिनांक 28-01-1991 को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री बी. आर. यादव वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.